

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश
(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)


// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

क्रमांक 86 /स्था.सेवा/2017 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई.टी. ऑपरेटर एवं अन्य पदों हेतु आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा 2016 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **स्टेनोटाइपिस्ट** के पद पर मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-4(19500-62000) के प्रारंभिक वेतन 19500 (पूर्व वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 रुपये) तथा शासन द्वारा देय भत्तों पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परीवीक्षा पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में निम्न शर्तों के अधीन की जाकर पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	नाम	संवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	सुश्री श्वेता यादव	अनारक्षित	उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय भोपाल
2	श्री यशवर्धन भौर	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय इंदौर
3	सुश्री अंकिता शर्मा	अनारक्षित	उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, ग्वालियर

1. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी ।
2. इस नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस/वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी । यदि संबंधित अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस के सेवा छोड़ देता है तो उससे उस माह के वेतन तथा भत्तों की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी ।
3. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी । पेंशन नियम 1976 लागू नहीं होंगे एवं म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे ।
4. नव नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
5. अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं । यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।
7. नव नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में दर्शाई गई प्रावीण्य सूची अनुसार होगी ।


(कल्पना श्रीवास्तव)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्य प्रदेश

क्रमशः2

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर की ओर सूचनार्थ ।
4. उपमहानिरीक्षक पंजीयन...../जिला पंजीयक...../स्थापना सामान्य शाखा, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त कर्मचारी के उपस्थित होने पर उससे से नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही अविलंब पूर्ण करा ली जावे-
 (क) निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म की प्रति संलग्न है इसकी संबंधित से पूर्ति कराई जाये अनुप्रमाणन फार्म के साथ इस आशय का नोटरी द्वारा तस्दीक शपथ पत्र भी प्राप्त किया जाये कि नव नियुक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी थाने/ न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता नहीं रखता। उक्त आशय का शपथ पत्र अनुप्रमाणन फार्म के साथ संलग्न किया जाये। इसकी संबंधित अभ्यर्थी से पूर्ति कराई जाकर चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी नियुक्त कर्मचारी का चरित्र शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो संबंधित की नियुक्ति निरस्त करने हेतु तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
 (ख) अचल एवं चल संपत्ति और रिश्तेदारों के संबंध में डिक्लेरेशन फार्म भराया जाकर सेवा पुस्तिका में चस्पा करें ।
 (ग) निर्धारित फार्म पर शपथ ग्रहण कराकर सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाये।
 (घ) नियमानुसार सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।
5. जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
6. जिला पेंशन अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
7. अधीक्षक/गोपनीय/लेखा/बजट शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित सुश्री/श्री
 की ओर पालनार्थ ।


 महानिरीक्षक पंजीयन
 मध्यप्रदेश